राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
67वीं बैठक दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 की कार्य सूची (एजेण्डा)

66वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 66वीं बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित उप-समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 26 नवम्बर, 2018**
2. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 26 नवम्बर, 2018**
3. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 12 दिसम्बर, 2018**
4. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 29 नवम्बर, 2018**

एजेण्डा संख्या - 1 : वित्तीय समावेशन : बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता

क) बैंक रहित गाँव - 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य में वित्तीय आधारित संरचना से रहित एवं अपर्याप्त रुप से आच्छादित **484** गाँवों की सूची प्रेषित की गयी थी, जिनके 5 किलोमीटर की परिधि में कोई बैंक शाखा / बी.सी. / पोस्ट ऑफिस उपलब्ध नहीं थे। इसी अनुक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा संबंधित गाँवों का सर्वे कर, **484** गाँवों में से **62** गाँवों को विभिन्न बैंकों को बी.सी. नियुक्त करने हेतु आबंटित किए गए थे। **62** गाँवों में से **22** गाँवों को फारेस्ट रेंज, जनसंख्या का पलायन एवं पोस्ट ऑफिस से आच्छादित होने के कारण डी.एल.आर.सी. बैठक में समीक्षा के उपरांत पुन: exclude किया गया था। शेष **40** गाँवों में बी.सी. नियुक्त कर बैंकिंग सुविधाओं से आच्छादित किए जाने की सूचना बैंकों से प्राप्त हो गयी है, जिसकी पुष्टि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है।

ख) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondent) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बनाए गए रोडमैप के अनुसार 2000 से कम की आबादी वाले गाँवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए **2149** क्लस्टर / एस.एस.ए. बैंकों को आबंटित किए गए थे।

इस विषय में बैंकों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुरुप संबंधित बैंकों द्वारा जून, 2018 त्रैमास में **1507** की प्रगति के सापेक्ष सितम्बर, 2018 त्रैमास में **129** नए बी.सी. नियुक्त करते हुए अथवा नई शाखा के माध्यम से **1636** SSAs में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की पुष्टि की गयी है तथा **513** में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसका विवरण संलग्न है।

दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को वित्तीय समावेशन की उप-समिति की बैठक में सभी संबंधित बैंकों को उन्हें आबंटित एस.एस.ए. में से लम्बित स्थानों पर बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्त करने की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है।

वी.-सैट :

बैंकों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुरुप कनेक्टिविटी रहित **648** SSAs में से सभी के लिए वी.-सैट के आर्डर प्रेषित कर दिए गए थे। जून, 2018 त्रैमास में कुल **152** लम्बित वी.-सैट के सापेक्ष सितम्बर, 2018 त्रैमास में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा **33** नए वी.-सैट स्थापित किए गए हैं तथा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा **03** स्थानों पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपलब्ध होना सूचित किया गया है। अवशेष बचे **113** SSAs में बैंकवार लम्बित वी.-सैट का विवरण निम्न है :

क्र.सं.	बैंक का नाम	कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. की संख्या जहाँ वी.-सैट स्थापित किए जाने हैं।	वी.-सैट स्थापित किए जा चुके एस.एस.ए. की संख्या	वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	293	215	78
2.	पंजाब नेशनल बैंक	25	04	21
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	29	26	03
4.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	21	20	01
5.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	05	05	00
6.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	02	01	01
7.	बैंक ऑफ इण्डिया	09	06	03
8.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	251	245	06
9.	नैनीताल बैंक	10	10	00
कुल योग		**645**	**532**	**113**

ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी :

हमें अवगत कराना है कि इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा महानिदेशक, दूरसंचार विभाग उत्तराखंड के साथ एक बैठक करते हुए 642 गाँवों की सूची उपलब्ध करायी गयी थी एवं अनुरोध किया गया था कि इन गाँवों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता की सूचना हमें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को वित्तीय समावेशन की उप-समिति की बैठक में विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि **642** में से **285 SSAs** में **2G/3G/4G** व **288 SSAs** में **2G** इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है तथा **69 SSAs** में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। उक्त सूचना सूची सहित सभी संबंधित बैंकों को सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित कर दी गयी है।

Business Correspondent की अनुपलब्धता :

इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा महाप्रबंधक, नाबार्ड को लम्बित **642 SSAs** की सॉफ्ट कॉपी इस अनुरोध के साथ उपलब्ध करायी गयी थी कि नाबार्ड के स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूहों में इच्छुक महिला सदस्यों के नाम **SSAs** के आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे, जिससे कि ऐसे **SSAs** जहाँ बैंकों को **BCs** नहीं मिल रहे हैं वहाँ **BCs** नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

Indian Postal Payment Bank :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा चीफ पोस्ट मॉस्टर जनरल उत्तराखंड के साथ दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को एक अनौपचारिक बैठक में यह संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड राज्य में **2329** स्थानों पर पोस्ट ऑफिस शाखाएं कार्यरत हैं, जिन्हें **Indian Postal Payment Bank** के रुप में दिसम्बर, 2018 तक स्थापित किया जाना निर्देशित है।

ग) डिजीटल बैंकिंग - AADHAR PAY / BHIM / ATM / POS / VSAT / e-PAYMENT / INTERNET BANKING के माध्यम से लेन-देन :

डिजीटल बैंकिंग के माध्यम से राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में सितम्बर, 2018 त्रैमास की प्रगति निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

त्रैमास	कुल ट्रानजेक्शन संख्या	ट्रानजेक्शन धनराशि
जून, 2018	2,84,88,441	46,986.58
सितम्बर, 2018	5,92,09,302	88,401.71

(₹ In Crores)

Quarter	Bank's APP				Other Modes of Payment			
	UPI + BHIM + USSD APP		OTHER APPs		NET BANKING		OTHER MODES	
	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
June, 2018	1174493	338.08	3081568	1819.81	5829872	12256.45	18402508	32572.24.
Sept. 2018	2818412	2865.22	6297511	5040.07	11368861	28456.59	38724518	**52039.83**

बैंकों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर पिछले त्रैमास के सापेक्ष डिजीटल लेन-देन में दोगुना वृद्धि दर्ज की गयी है।

घ) वित्तीय समावेशन / डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) एवं आधार सीडिंग

		जून, 2018	**सितम्बर, 2018**
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या	23,56,819	24,20,967
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई खातों में आधार सीडिंग की संख्या .	17,06,616 **(72.41%)**	17,64,857 **(72.90%)**
ग)	शून्य राशि के पी.एम.जे.डी.वाई. खातों की संख्या	2,52,222	2,57,877
घ)	आधार सीडिंग योग्य खातों की संख्या के आधार पर प्रतिशत	21,04,597 **(81.09%)**	21,63,090 **(81.59%)**

वर्तमान में **Direct Benefit Transfer** से संबंधित खातों के अतिरिक्त अन्य खातों को आधार से अनिवार्य रुप से जोड़े जाने का कार्य वर्तमान में अभी लम्बित है तथा इस विषय में सक्षम स्तर से स्पष्ट निर्देश प्रतीक्षित है।

राज्य में MGNREGA में Aadhar based Payment System के आधार पर जून, 2018 त्रैमास के **6,94,055** के सापेक्ष सितम्बर, 2018 त्रैमास में **7,27,430** कामगारों को DBT के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसका प्रतिशत फ्रोजन खातों की संख्या **8,81,053** के सापेक्ष **80.61%** से बढ़कर **82.65%** हो गया है।

वित्तीय साक्षरता कैम्प द्वारा जागरुकता :

Direct Benefit Transfer के संदर्भ में वित्तीय साक्षरता कैम्पो के माध्यम से भी जनसाधारण को जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय त्रैमास में बैंकों एवं वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का विवरण निम्नवत है :

त्रैमास	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	स्वयं सहायता समूह हेतु कैम्प की संख्या	कुल कैम्प की संख्या
जुलाई-सितम्बर, 2018	1063	739	1802

सामाजिक सुरक्षा योजना :

योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए सितम्बर, 2018 त्रैमास तक बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है।

योजना	आच्छादित खातों की संख्या	
	जून, 2018	सितम्बर, 2018
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	12,36,398	13,09,124
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	3,65,564	3,79,036
अटल पेंशन योजना	88,158	1,01,200

सभी बैंक पात्र ग्राहकों को इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 2 : बैंकों द्वारा ऋण वितरण “ SLBC - 03 ”

क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के निर्धारित लक्ष्य **₹ 20025.54 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा **₹ 8245.28 करोड़** की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में निम्नवत दर्ज की गयी है, जो कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का **41% है,** तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वितीय तिमाही हेतु निर्धारित मानक **40%** को पूरा करता है।

(₹ करोड़ों में)

मद	सितम्बर, 2017			सितम्बर, 2018		
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	6524.51	2254.37	35%	7037.05	2480.40	35%
सावधि ऋण	3225.14	928.78	29%	3643.46	883.10	24%
फार्म सेक्टर (कुल)	**9749.65**	**3183.15**	**33%**	**10680.51**	**3363.50**	**31%**
नॉन-फार्म सेक्टर	4937.81	2682.30	54%	6102.48	3220.43	53%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3781.34	1645.40	44%	3242.54	1672.35	52%
कुल योग	**18468.80**	**7510.84**	**41%**	**20025.54**	**8256.28**	**41%**

ख) सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति -

हमें अवगत कराना है कि सभी सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति समीक्षा विभिन्न स्थायी समितियों / उप-समिति की बैठकों में विस्तृत रुप से की जाती है। अत: यदि किसी नीतिगत विषय के विशेष बिंदु पर निर्णय लिया जाना है, तो उस विषय को विचार / निर्णय हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में सदन के सम्मुख रखा जाना निर्देशित है। सदन से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को अनुमत करने की कृपा करें, जिससे कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड में अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिलना संभव हो सके।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM INDIVIDUALS) : “ SLBC - 16 एवं 16 A ”

एन.यू.एल.एम. व्यक्तिगत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय त्रैमास में बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1182	1185	529	511	587.79	161	495

सभी बैंकों को लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण करने के लिए सूची सहित निर्देशित किया गया है तथा दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को आयोजित बैंकर्स स्थायी -समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा भी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे उनकी शाखाओं में लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समूह (NULM GROUPS) : “ SLBC - 17 एवं 17 A ”

एन.यू.एल.एम. समूह के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय त्रैमास में बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
18	71	21	12	12.95	03	47

उक्त योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य **18** के सापेक्ष **21** ऋण स्वीकृत कर लक्ष्यों को पूरा करते हुए सभी बैंकों को लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण करने के लिए सूची सहित निर्देशित किया गया है। दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को आयोजित बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा भी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे उनकी शाखाओं में लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : “ SLBC - 18 ”

वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय त्रैमास में **“राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन”** के अंतर्गत बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	**प्राप्त आवेदन पत्र**	**स्वीकृत आवेदन पत्र**	**स्वीकृत राशि**	**वितरित आवेदन पत्र**	**वितरित ऋण राशि**	**निरस्त / वापिस आवेदन पत्र**	**लम्बित आवेदन पत्र**
4319	1721	751	563.67	449	335.89	104	866

हमें अवगत कराना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज प्रगति 1**511** के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में वार्षिक लक्ष्यों को बढ़ाकर **4319** किया गया है, चूँकि मात्र **18** बैंकों की शाखाओं को ही आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं एवं विभाग द्वारा भी लक्ष्य के सापेक्ष कम ऋण आवेदन पत्र प्रेषित हैं। अत: प्रमुख बैंकों के अनुरोध के आधार पर लक्ष्यों को संशोधित कर कम किए जाने विषयक एक पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से पत्र संख्या प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./1331-1332 दिनांक 20 जून, 2018 प्रेषित किया गया था। स्वयं सहायता समूहों के लक्ष्य **4319** को घटाकर (2000 से 2300 के मध्य) संशोधित किए जाने का सदन से अनुरोध करते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) ऋण योजना : “SLBC - 28”

वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय तिमाही की समाप्ति पर सभी बैंकों द्वारा **“प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”** के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

योजना	**ऋण राशि सीमा**	**सितम्बर, 2017**				**सितम्बर, 2018**			
		निर्धारित लक्ष्य राशि	**वितरित ऋण संख्या**	**स्वीकृत ऋण राशि**	**%**	**निर्धारित लक्ष्य राशि**	**वितरित ऋण संख्या**	**स्वीकृत ऋण राशि**	**%**
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	192.93	12150	36.25	19	177.92	33340	96.35	54
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	848.64	15199	348.18	41	840.14	17763	425.56	51
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	854.65	3343	251.76	29	906.78	4656	384.16	42
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**1896.22**	**30692**	**636.19**	**34**	**1924.84**	**55759**	**906.07**	**47**

योजनांतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक **55759** लाभार्थियों को **₹ 906.07 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) : "SLBC - 7"

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय तिमाही की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	**प्राप्त आवेदन पत्र**	**स्वीकृत आवेदन पत्र**	**वितरित आवेदन पत्र**	**वितरित ऋण राशि**	**EDP के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या**	**निरस्त आवेदन पत्र**	**लम्बित आवेदन पत्र**	**अनुदान वितरण का लक्ष्य**	**अनुदान वितरण राशि**
DIC – 476	1730	676	486	3000	185	611	258	1190.16	770.16
KVIC – 357	460	268	136	1301	04	134	54	892.62	523.28
KVIB – 357	609	253	257	2015	47	216	93	892.62	337.32
योग - 1190	**2799**	**1197**	**879**	**6316**	**236**	**961**	**405**	**2975.40**	**1630.76**

उक्त योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा अनुदान राशि वितरण के लक्ष्य की प्रगति के आधार पर दर्ज की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के **₹ 29.75 करोड** अनुदान राशि वितरण के सापेक्ष **₹ 16.31 करोड़** की प्रगति दर्ज करते हुए **54.80%** की प्रगति दर्ज की गयी है। बैंक नियंत्रकों से अनुरोध है कि शाखा स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 तक की अद्यतन स्थिति के अनुसार **₹ 23.72 करोड़** की अनुदान राशि का वितरण करते हुए **79.73%** की प्रगति दर्ज की गयी है।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना : "SLBC – 9"

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय तिमाही की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	**प्राप्त आवेदन पत्र**	**स्वीकृत आवेदन पत्र**	**वितरित आवेदन पत्र**	**वितरित ऋण राशि**	**निरस्त / वापिस आवेदन पत्र**	**लम्बित आवेदन पत्र**
वाहन - 200	93	57	40	295	04	32
गैर-वाहन - 200	69	11	07	145	17	41
कुल योग - 400	**162**	**68**	**47**	**440**	**21**	**73**

सितम्बर, 2018 त्रैमास की समाप्ति के उपरांत पर्यटन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को योजनांतर्गत जिलेवार / बैंकवार / शाखावार लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसे सभी संबंधित बैंक नियंत्रकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कर दिया गया था कि वे लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (पर्यटन विभाग) :

उत्तराखंड सरकार द्वारा 20 अप्रैल, 2018 को दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली 2018 की अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसके अंतर्गत आगामी तीन वर्षों के लिए 5000 होम स्टे बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है तथा इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2000 होम स्टे विकसित किए जाने हैं।

इस योजना के अंतर्गत होम स्टे निर्माण हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किए जाने पर नियमानुसार अनुदान दिए जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में योजना में बैंकों के द्वारा वित्तपोषण में बैंक नियमों के अनुपालन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु बैंकों के शीर्ष अधिकारियों एवं हितधारकों की बैठक उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 को आयोजित की गयी थी, जिसमें बैंकों द्वारा निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा की गयी एवं बैठक का कार्य वृत्त सभी हितधारकों को प्रेषित कर दिए गए थे।

i) **The Nature of the Scheme -** बैंकों द्वारा बिन्दु उठाया गया था कि उक्त योजना की प्रकृति किस प्रकार की होगी, आवासीय ऋण अथवा व्यवसायिक ऋण। योजना के निर्देशों में नए गृह निर्माण / नवीनीकरण को आवासीय ऋण की प्रकृति बताया गया है, जबकि जी.एस.टी. का प्रावधान भी योजना में वर्णित है, जो कि परस्पर विरोधी हैं। आवासीय ऋण में आवेदक की वर्तमान आय का आंकलन किया जाता है, जब कि व्यवसायिक ऋण में आवेदक के व्यवसाय से भविष्य में प्राप्त होने वाले आय का आंकलन किया जाता है।

ii) **Conversion of Land Use Certificate -** होम स्टे योजनांतर्गत नया निर्माण, निर्मित भवन का विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण किए जाने की स्थिति में कृषि भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं बतायी गयी है, जिस कारण बैंक स्तर पर सरफेसी एक्ट के प्रावधानो का अनुपालन संभव नहीं होगा। साथ ही कृषि भूमि पर नवनिर्माण / भवन के विस्तारीकरण हेतु मानचित्र किस स्तर पर स्वीकृत / अनुमोदित किया जायेगा। इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण शासन से अपेक्षित है।

अपर सचिव (पर्यटन विभाग), उत्तराखंड द्वारा आश्वासन दिया गया है कि योजना से संबंधित सभी बिंदुओं पर त्वरित समाधान किया जाएगा। साथ ही बैंकों को सुझाव दिया गया कि वे आवेदकों को आश्वस्त करें कि योजनांतर्गत प्रमुख बिंदुओं पर विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया जाएगा, जिसके लिये बैंकों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित कर दिया गया है।

दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को आयोजित अवस्थापना विकास बैंकर्स समिति की बैठक के अध्यक्ष डा. रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा पर्यटन विभाग को इस विषयक शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी अनुक्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा दिनांक 28.11.2018 को संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, उत्तराखंड शासन एवं प्रमुख बैंकों के साथ बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक में आयोजित बैठक दिनांक 09.10.2018 के अनुरुप योजनांतर्गत अपेक्षित संशोधन प्रारुप को बैंकों के सम्मुख रखते हुए उनकी सहमति प्राप्त कर ली गयी है। वर्तमान में शासन स्तर से अपेक्षित संशोधन सक्षम अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है।

स्टैण्ड अप इण्डिया : "SLBC - 44"

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा हेतु कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम ₹ 10 लाख से अधिकतम ₹ 100 लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जून, 2018 त्रैमास में स्वीकृत **65** आवेदन पत्रों के सापेक्ष सितम्बर, 2018 त्रैमास में **114** नए ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

30 सितम्बर, 2018 तक सभी बैंकों द्वारा योजनांतर्गत दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	मद	वित्तीय वर्ष 2018-19 30 सितम्बर, 2018 तक की प्रगति का विवरण			योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की कुल प्रगति	
		आवेदन प्राप्त	**आवेदन स्वीकृत**	**स्वीकृत राशि**	**कुल ऋण वितरित आवेदन**	**कुल वितरित ऋण राशि**
1.	महिला	144	144	34.77	990	220.12
2.	अनुसूचित जाति / जनजाति	35	35	7.25	231	45.08
	योग	**179**	**179**	**42.02**	**1221**	**265.20**

दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के संज्ञान में लाया गया है कि सहकारी बैंकों द्वारा इस योजना में ऋण वितरण अनुमत नहीं है, इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंक के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया है कि वे इस विषय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को पत्र द्वारा स्पष्ट कारणों से अवगत कराएं। साथ ही सभी प्राइवेट बैंकों द्वारा की गयी शून्य प्रगति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया है।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान : "SLBC - 15"

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय त्रैमास में बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

योजना	**वार्षिक लक्ष्य**	**प्रेषित / प्राप्त आवेदन**	**स्वीकृत आवेदन**	**वितरित आवेदन**	**बैंक ऋण राशि**	**निरस्त / वापिस आवेदन पत्र**	**लम्बित आवेदन पत्र**
अनुसूचित जाति	1459	823	540	497	226.13	19	264
अनुसूचित जनजाति	100	73	38	28	13.55	01	34
अल्पसंख्यक समुदाय	454	154	14	00	00	04	136
कुल	**2013**	**1050**	**592**	**525**	**239.68**	**24**	**434**

उक्त योजनांतर्गत विभाग द्वारा प्रेषित **1050** ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष सभी बैंकों द्वारा **592** ऋण आवेदकों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु सूची सभी संबंधित बैंक नियंत्रकों को उपलब्ध करा दी गयी है।

दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति को दिए जाने वाले बैंक ऋण के साथ विभाग द्वारा निगम की अंश पूँजी से मार्जिन मनी के लिए दिए जाने वाले ऋण के आधार पर योजना की उपयोगिता की उचित जाँच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को दिए गए हैं।

ग) शिक्षा ऋण स्वीकृति की प्रगति "SLBC - 40"

राज्य में वितरित शिक्षा ऋण की स्थिति निम्न प्रकार है :

(₹ लाखों में)

01.04.2018 से 30.09.2018 तक स्वीकृत ऋणों की संख्या	01.04.2018 से 30.09.2018 तक स्वीकृत राशि	30.09.2018 तक कुल स्वीकृत ऋणों की संख्या	30.09.2018 तक कुल Outstanding राशि
2574	14048.88	36406	116914.62

वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरुप शिक्षा ऋणों में एन.पी.ए. का विवरण निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

खातो की संख्या	कुल देय राशि	धनराशि	एन.पी.ए.%
1349	116914.62	3717.18	3.18%

घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) "SLBC – 27"

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई ऋण

सभी बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत सितम्बर, 2018 त्रैमास में **₹ 6102.48 करोड़** लक्ष्य के सापेक्ष **₹ 3220.43 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं, जो लक्ष्य का **53%** है।

Status of outstanding : **(₹ करोड़ में)**

त्रैमास	सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		कुल योग
	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
जून, 2018	1496	3417	2244	5126	1970	1578	5710	10121	15831
सितम्बर, 2018	1600	3350	2399	5024	2298	1769	6297	10143	16440

जून, 2018 त्रैमास तक कुल **₹ 15,831 करोड़** के ऋण के सापेक्ष सितम्बर, 2018 तिमाही तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई के अंतर्गत कुल **₹ 16440 करोड़** के ऋण वितरित (Total Outstanding) हैं।

उपरोक्त outstanding के अतिरिक्त राज्य से बाहर की बैंक शाखाओं द्वारा **₹ 10,114 करोड़** का वित्तपोषण **Outside State** के रुप में किया गया है, जिसमें मुख्यत: भारतीय स्टेट बैंक द्वारा **₹ 7,205 करोड़** का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme) :

Scheme Parameters	EWS	LIG	MIG - 1	MIG - 2
परिवार की वार्षिक आय	₹ 3.00 लाख तक	₹ 6.00 लाख तक	₹ 6.00 लाख से ₹ 12.00 लाख तक	₹ 12.00 लाख से ₹ 18.00 लाख तक
अधिकतम कारपेट एरिया	30 वर्ग मीटर	60 वर्ग मीटर	160 वर्ग मीटर	200 वर्ग मीटर
सम्पत्ति का स्वामित्व	महिला एकल / संयुक्त अधिकार	महिला एकल / संयुक्त अधिकार	कोई शर्त नहीं	कोई शर्त नहीं

वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय त्रैमास में योजनांतर्गत बैंकों को प्रेषित कुल लक्ष्य 2000 के सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

" SLBC - 48 "

(₹ लाखों में)

ग्राहकों से सीधे बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र / शाखा स्तर पर स्वीकृत		विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र					सकल स्वीकृत	
		प्राप्त	स्वीकृत		निरस्त / वापिस	लम्बित		
संख्या	राशि	संख्या	संख्या	राशि	संख्या	संख्या	संख्या	राशि
1025	16138.22	2625	67	377.50	2206	352	1092	16515.72

नये निर्देशानुसार वर्तमान में सभी आवेदन पत्र जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा बैंकों को प्रेषित किए जाने का प्रावधान है। पूर्व में निकायों द्वारा बैंकों को सीधे प्रेषित आवेदन पत्रों में आवास निर्माण हेतु भूमि विषयक विसंगतियाँ पायी गयी थीं, जिसके कारण प्राप्त आवेदन पत्रों को बैंकों द्वारा निरस्त / वापिस किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संबंधित नोडल एजेन्सियों द्वारा वितरित अनुदान का विवरण निम्न है :

(₹ लाखों में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	803	8207.80	1679.50
हुडको	81	675.00	132.49
योग	**884**	**8882.80**	**1811.99**

बैंकों के अतिरिक्त हाऊसिंग फाइनेन्सिंग कंपनी द्वारा भी 708 ऋण पी.एम.ए.वाई. में स्वीकृत किया जाना सूचित किया गया है।

ङ) किसान क्रेडिट कार्ड / फसली ऋण / फसल बीमा (पीएमएफबीवाई) "SLBC - 5 "

किसान क्रेडिट कार्ड योजना -

(₹ करोड़ों में)

वर्ष 2018-19 के.सी.सी. लक्ष्य	01.04.2018 से 30.09.2018 तक जारी किए गए कार्ड	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत	30.09.2018 तक कुल जारी किए गए कार्डों की संख्या	30.09.2018 तक वितरित राशि
1,00,000	45,394	45%	5,06,149	6817.12

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

समस्त बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना / मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2018 के अंतर्गत संसूचित फसलें यथा धान, मण्डुवा, आलू, अदरक, टमाटर, फ्रासबिन एवं मिर्च के लिए निर्धारित समयावधि के अनुसार माह सितम्बर, 2018 तक लगभग **1,26,789** कृषकों का बीमा से आच्छादित होना सूचित किया गया है।

क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त में प्रधानमंत्री फसल बीमा तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत क्रमश: **79,720** एवं **38,500** कुल **1,18,220** बीमित कृषकों का डाटा **www.pmfby.gov.in** पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत 30.09.2018 तक की प्रगति एवं क्लेम वितरण "SLBC - 22"

(₹ लाखों में)

कुल फसली ऋण वितरित	अधिसूचित फसली ऋण का बीमा	बीमित कृषकों की संख्या	प्राप्त प्रीमियम राशि	क्लेम वितरित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या
2,48,040	38,986	86,127	464	242	12,374

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 30.09.2018 तक की प्रगति "SLBC - 23 "

(₹ लाखों में)

कुल फसली ऋण वितरित	अधिसूचित फसली ऋण का बीमा	बीमित कृषकों की संख्या	प्राप्त प्रीमियम राशि	क्लेम वितरित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या
2,48,040	16,665	40,662	833	2,309	34,307

योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2018 तक **46,681** किसानों को **₹ 25.51 करोड** का फसली बीमा क्लेम वितरण करना, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा सूचित किया गया है।

मौसम रबी 2018-19 :

मौसम रबी 2018-19 में PMFBY / RWBCIS की अधिसूचना उत्तराखंड शासन द्वारा जारी कर दी गयी है, जिसके संबंध में सभी बैंकों को सूचित किया जा चुका है। ग्राम्य विकास स्थायी समिति की बैठक में सभी बैंकों को पुन: निम्नानुसार निर्देशित किया गया है :

योजना	संसूचित फसल	बीमा प्रीमियम (@)	बीमा प्रीमियम नामे करने की अंतिम तिथि	प्रीमियम प्रेषित एवं डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि
PMFBY	गेंहू एवं मसूर	कुल बीमित का 1.5%	15.12.2018	31.12.2018
RWBCIS	**पर्वतीय भाग** - सेब, आड़ू, माल्टा, संतरा, मौसमी, आम, लीची एवं मटर **मैदानी भाग** - आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर	कुल बीमित का 5.%	31.12.2018	15.01.2019

एजेण्डा संख्या - 3 : किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना "SLBC - 47"

नाबार्ड के Potential Linked Plan के साथ सार्थक रणनीति तैयार करते हुये वर्ष 2018-19 में राज्य के लिए वार्षिक ऋण योजना बनायी गयी है। वर्ष 2018-19 हेतु राज्य की वार्षिक ऋण योजना में कुल बजट **₹ 20,025 करोड** में से **50 प्रतिशत** से अधिक **₹ 10,680 करोड़** कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों हेतु बजट रखा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/2018-19/5 FIDD.CO.LBS.BC. No.2/02.01.001/2018-19 दिनांक 02 जुलाई, 2018 में दिए गए दिशानिर्देशानुसार कृषि से संबंधित अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फ्लोरीकल्चर एवं हार्टिकल्चर आदि के लिए अधिकाधिक ऋण वितरित किए जाने हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय त्रैमास में बैंकों द्वारा निम्नवत ऋण वितरित किए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण राशि
1.	डेयरी	9577	121.34
2.	मुर्गी पालन	1175	17.84
3.	भेड़ / बकरी / सुअर पालन	3259	21.97
4.	प्लांन्टेशन एवं बागवानी	1130	16.71
5.	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	733	40.29
6.	कृषि यंत्रिकरण	2239	38.31
7.	मत्स्य पालन	270	5.28
8.	स्टोरेज गोदाम	721	10.96
9.	जल संसाधन	319	3.37
10.	भूमि विकास	1033	17.69
11.	अन्य (कृषि संबंधित क्रियाकलाप)	* 23144	589.34
कुल योग		**43600**	**883.10**

इसके अतिरिक्त फसली ऋणों के वार्षिक लक्ष्य **₹ 7037 करोड़** के सापेक्ष **₹ 2480.40 करोड़** का ऋण वितरण किया गया, जो कि लक्ष्य का **35%** है।

* बैंकों से प्रदत्त सूचना के अनुरुप अन्य कृषि संबंधित क्रियाकलाप के अंतर्गत एग्री गोल्ड लोन, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों को वितरित गृह ऋण, माइक्रो फाइनेंस, ज्वाइंट लाइबलिटी ग्रुप, ट्रेक्टर ऋण व बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की विभिन्न अनुषंगी गतिविधियों हेतु बनायी गयी ऋण योजनाओं में दिए गए ऋण शामिल हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 66वीं बैठक में माननीय वित्तमंत्री, उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में अन्य कृषि संबंधित क्रियाकलापों में प्रदर्शित लाभार्थियों की संख्या के संबंध में राज्य सहकारी बैंक द्वारा त्रुटिवश 5,466 लाभार्थी दर्शित करना सूचित किया गया था, जो कि अब सही कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्रा. लि. बैंक द्वारा 3,155 लाभार्थियों को कृषि क्षेत्र में माइक्रो ऋण वितरण करना सूचित किया गया है। सितम्बर, 2018 त्रैमास में अधिक राशि एवं संख्या दर्शाने वाले बैंकों (यस बैंक, इंडसंइड बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा) द्वारा आँकड़ों की पुन: पुष्टि कर दी गयी है।

एजेण्डा संख्या - 4 : ऋण-जमा अनुपात "SLBC – 01"

वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति तक ऋण-जमा अनुपात **58%** रहा है।
निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है :

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	सितम्बर, 2018
रुद्रप्रयाग	54	25%
टिहरी	134	38%
पौड़ी	197	23%
अल्मोड़ा	147	23%
बागेश्वर	51	27%

संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक इस विषय पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण-जमा अनुपात उप समिति में विभिन्न रेखीय विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से क्षेत्र विशेष की सम्भाव्यता के आधार पर ऋण वितरण की उपयुक्त कार्ययोजना बना कर उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें एवं सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कराएं, जिससे कि जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके।

एजेण्डा संख्या - 5 : गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एन.पी.ए.) "SLBC – 30"

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिम		30.09.2018 तक कुल एन.पी.ए.		प्रतिशत
संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1571245	65234.90	182813	3314.99	**5.08%**

जून, 2018 त्रैमास के कुल एन.पी.ए. **198548** व राशि ₹ **3417.36 करोड़** के सापेक्ष सितम्बर, 2018 त्रैमास में **5.43%** से घटकर **5.08%** हुआ है।

क्षेत्रवार विवरण (Segmental Details) :

(₹ करोड़ में)

अवधि	कृषि क्षेत्र		एम.एस.एम.ई.		व्यैक्तिगत		अन्य क्षेत्र		कुल एन.पी.ए.	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
31.03.2018 तक की स्थिति	86202	934.67	47721	1373.41	34573	443.02	9593	309.78	178089	3060.88
30.09.2018 तक सकल एन.पी.ए.	83884	1044.67	57035	1404.35	30757	471.19	11137	394.77	182813	3314.99
खण्डवार अग्रिम (outstanding) **का एन.पी.ए. %**		**9.14**		**8.54**						
कुल अग्रिम का एन.पी.ए. %		**1.60**		**2.15**		**0.72**		**0.60**		**5.08**

सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित आस्तियों का विवरण :

(In ₹ Lacs)

Sl.	Scheme	Total Outstanding		Gross NPA		GNPA %
		No.	Amt.	No.	Amt.	
1	PMEGP	2735	5666.83	678	944.84	16.67
2	SCP	1701	7732.86	200	186.94	2.41
3	VCSGY	321	2457.58	21	139.87	5.69
4	NULM	1176	978.57	284	181.10	18.50
5	NRLM	1370	648.82	203	139.82	21.54
6	DRI	3470	373.98	939	114.17	30.52
7	MUDRA YOJANA	73857	126090.25	4175	4604.55	3.65
8	DEDS	696	1281.00	77	115.86	9.04
9	STAND UP INDIA	581	10213.08	17	297.74	2.91
10	PMAY	189	2253.75	01	16.81	0.74
TOTAL		**86096**	**157696.73**	**6595**	**6741.71**	**4.27**

उपरोक्त सूचना भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, नैनीताल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं यूको बैंक से प्रेषित आँकड़ों के आधार पर प्रस्तुत है।

सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित अस्तियों के विरुद्ध ऑन-लाइन वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति

“SLBC - 39A, 39B”

30 सितम्बर, 2018 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

	संख्या	**लम्बित राशि**
एक वर्ष से कम	11965	171.50
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	20143	235.11
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	4148	29.02
पाँच वर्ष से अधिक	3477	41.99
कुल लम्बित आर.सी.	39733	477.62
01.04.2018 से 30.09.2018 तक वसूली की स्थिति	5991	51.70

वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय तिमाही में **5991** वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष **₹ 51.70 करोड़** की राशि वसूल की गयी थी। जून, 2018 त्रैमास की रिकवरी **8.57%** से बढ़कर **10.82%** हो गयी है।

शासन से अनुरोध है कि लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली को गति प्रदान करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे कि प्राप्त राशि का उपयोग नये ऋण वितरण में किया जा सके।

एजेण्डा संख्या - 6 : केंद्र / राज्य सरकार की नीति

उद्योग नीति, एम.एस.एम.ई., कृषि नीति में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन / संशोधनों के संदर्भ में सदन को अवगत कराने का अनुरोध करते हैं।

एजेण्डा संख्या - 7 : ग्रामीण अवस्थापना

मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 66वीं बैठक, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 (जून, 2018 त्रैमास) में रखे गए एजेण्डा के अनुसार मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट के लिए शासन स्तर से सूचना प्रतीक्षित है।

एजेण्डा संख्या - 8 : कौशल विकास मिशन

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 13 आरसेटी संस्थानों द्वारा **262** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा **6899** अभ्यर्थियों को वांछित रोजगारपरक क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष **138** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत **3710** अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुरुप आरसेटी संस्थानों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं कार्य आरम्भ करने से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का %	बैंक द्वारा वित्तपोषित की संख्या	रोजगार %
01.04.2018 से 30.09.2018	138	3710	1725	**46.49**	1048	**60.75**
01.04.2011 से 30.09.2018	1866	49192	33014	**67.11**	14438	**44.00**

उत्तराखंड राज्य में आरसेटी संस्थानों द्वारा 40 प्रकार के उद्यम / रोजगार स्थापित करने की गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने अनुमोदित किए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण आरसेटी की वेबसाइट (www.nacer.in) पर उलब्ध है।

सितम्बर, 2018 त्रैमास की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति किया जाना निम्नवत लम्बित है : **(₹ लाखों में)**

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रशिक्षणार्थियों की संख्या**	**लम्बित राशि**
1	2013-14	541	8.66
2	2014-15	400	15.08
3	2015-16	385	7.19
4	2016-17	480	8.74
5	2017-18	790	33.38
6	2018-19	877	41.98
	कुल योग	**3473**	**115.03**

शासन द्वारा आरसेटी संस्थान देहरादून, के भवन निर्माण हेतु पूर्व आबंटित / चयनित भूमि के स्थान पर नयी भूमि का आबंटन किया जाना प्रतीक्षित है।

एजेण्डा संख्या - 9 : भूलेखों में सुधार :

बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :

शेष **2** तहसीलों (नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर / ख्यान्सु, जिला नैनीताल) में ऑन-लाइन भूमि अभिलेखों पर प्रभार अंकित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

एजेण्डा संख्या - 10 : डीसीसी / डीएलआरसी बैठक

जिला स्तरीय बिंदुओं के समाधान हेतु समीक्षा -

इस संबंध में सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक से पूर्व इन बैठकों का निर्धारित तिथि पर आयोजित करना सुनिश्चित करें।

सितम्बर, 2018 त्रैमास की डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. बैठकों की निर्धारित तिथि का विवरण :

क्र.सं.	जिला	निर्धारित तिथि	क्र.सं.	जिला	निर्धारित तिथि
1	पौड़ी	13.11.2018	8	बागेश्वर	15.11.2018
2	रुद्रप्रयाग	05.11.2018	9	टिहरी	06.12.2018
3	देहरादून	28.11.2018	10	उधम सिंह नगर	26.11.2018
4	पिथौरागढ़	13.11.2018	11	अल्मोड़ा	29.11.2018
5	चम्पावत	14.11.2018	12	हरिद्वार	29.11.2018
6	चमोली	13.11.2018	13	नैनीताल	27.11.2018
7	उत्तरकाशी	05.11.2018			

एजेण्डा संख्या - 11 : एस.एल.बी.सी. ऑकड़े

वास्तविक एवं सही एस.एल.बी.सी. आँकड़ों का समय पर प्रेषण

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों, रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित कर लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के शासन स्तर पर संदर्भित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष महोदय, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में संबंधित विभाग सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में क्रमश: 40% एवं 60% ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाना था, जिसमें कुछ विभागों के स्तर से ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण पूर्ण नहीं हुआ है।

साथ ही शाखावार प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूचना संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाए, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती की जा सके।

बैंक नियंत्रक अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करवाना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 12 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****